

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2022—ज्येष्ठ 20, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2022

क्र. ई-1-92-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री तरुण राठी (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.

3619

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीमती नेहा मारव्या सिंह (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	उच्चसचिव मध्यप्रदेश शासन.
3.	सुश्री निधि निवेदिता (2012), अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.	—
4.	श्री केदार सिंह (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	—
5.	श्री विवेक श्रोत्रिय (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर.	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.	उच्चसचिव मध्यप्रदेश शासन.
6.	श्री अजय श्रीवास्तव (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	—
7.	सुश्री तन्वी हुड्डा (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सतना.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर.	—
8.	श्री चन्द्र शेखर शुक्ला (2014), विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर	उच्चसचिव मध्यप्रदेश शासन.

2. उपरोक्तानुसार सुश्री निधि निवेदिता द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे (1999) आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3. उपरोक्तानुसार श्री तरूण राठी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे (2007), वि.क.अ-सह-आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. उपरोक्तानुसार श्री विवेक श्रोत्रिय द्वारा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे (2008), वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग केवल अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2022

क्र. ई-1-92-2022-5-एक.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई-1-92-2022-5-एक, दिनांक 16 मई, 2022 द्वारा श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह की पदस्थापना उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर की गई है।

2. श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह की उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर की गई पदस्थापना एतद्वारा निरस्त की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 9 मई 2022

क्र. एफ 1(ए) 28-2013-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 द्वारा श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे-11, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर को खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष-2022-23 में दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19-20 व 26-27 फरवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

3. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2022

क्र. एफ 1(ए) 111-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध), पु. मु. भोपाल ने दिनांक 11 से 18 मई 2022 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

4. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

5. अवकाश काल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

क्र. एफ 1(ए) 147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (रेल), म. प्र. भोपाल ने दिनांक 01 से 17 जून 2022 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जून 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

2. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (विसबल), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

3. अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (रेल), म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

4. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

5. अवकाश काल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 जून 2022

क्र. एफ 1(ए) 149-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु., भोपाल को खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 08, 10, 13 एवं 14 जून 2022 के 04 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 09, 11 व 12 जून, 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत लेह-लद्दाख हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10

दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री मिलिन्द कानस्कर, | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती आरती कानस्कर, | - | पत्नी |
| 3. कु. ईशा कानस्कर, | - | पुत्री |
| 4. श्री तनुज कानस्कर, | - | पुत्र |

2. श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसआईएसएफ, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाश काल में श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

फा. क्र. 1226-इक्कीस-ब(एक) 2022.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)24-2011-इक्कीस-ब (एक)-17-2020, दिनांक 21 जुलाई, 2020 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, श्री युगल रघुवंशी पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.

F. No. 1226-XXI-B(1)-2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in supersession of this department's Notification F. No. 17(E)24-2011-XXI-B(1)-1751-2020-dated 21st July 2020, the State Government, with the concurrence of

the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Shri Yugal Raghuvanshi, XXVth Additional Sessions Judge, Bhopal as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2022

पंजी क्र. 2080-2022-इक्कीस-ब(दो)—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-थांदला, जिला झाबुआ में विभागीय आदेश दिनांक 6 नवम्बर 1989 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री पुनमचंद गादिया का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

क्र. एफ 07-42-2021-अठारह-5.— मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-65 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा, श्री कमल धूत, निवासी पचमढी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पचमढी नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष, बैनर्जी, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2022

क्र. 27-1-2009-ए-सोलह.— राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-27-1-2009-ए-16, दिनांक 29 जून, 2019, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 जुलाई, 2019 (भाग-1) में प्रकाशित हुई है, में संशोधन कर माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य क्रमांक 30 एवं 31 में नामांकित सदस्यों का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों के नाम प्रतिस्थापित किया जाता है:—

31. श्री संजय सिंह - प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश.

32. श्री आशीष सिंह - प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश.

इसके अतिरिक्त अनुक्रमांक 24 पर नामांकित श्री मोहन निमजे, प्रांतीय अध्यक्ष, एटक राज्य परिषद् 29/5, परदेशीपुरा (न्यू रानी पुरा इंदौर) का देहावसान हो जाने के कारण उनके स्थान पर एटक से प्राप्त श्री अजीत कुमार जैन, महासचिव एटक, मध्यप्रदेश, एटक कार्यालय पदमाकर स्कूल के पास, नमक मंडी, सागर को प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चंद जटिया, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

क्र. 5081-66-2022-पचास-2.— राज्य शासन एतद्द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :-

अनुसूची

अ. क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1	झाबुआ	श्रीमती बेला कटलाना सदस्य

No. 5081-66-2022-L-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of section 27 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, [read along with Rule 88 (10) of JJ Rule 2016], the State Government, hereby appoints the members of the Child Welfare Committee as specified in column (3) for the following district as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification:—

SCHEDULE

S. No.	Name of District	Name of Chairperson/ Members
(1)	(2)	(3)
1	Jhabua	Smt. Bela Katlana Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कट्टेसारिया, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

क्र. एफ 16-19-2022-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, मेसर्स एनटीपीसी, खरगौन मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5338/(यूनिट 02) को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 22-03-2022 से दिनांक 31 मई 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है।

- संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक, बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी।
- नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385.क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।
- आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2022

क्र. 354-2022-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, निर्णय लिया गया है कि.—

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 के अनुक्रम में “फर्नीचर, टॉयस एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता” संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.

परिशिष्ट

फर्नीचर एवं टॉयस एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता

1. प्रस्तावना—उत्पाद आधारित क्लस्टर को प्रदेश के समावेशी विकास, लोगों के लिये रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये इसे राज्य के औद्योगीकरण हेतु मुख्य रणनीति के रूप में विकसित करना है।

2. उद्देश्य—

- ❖ प्रदेश के युवाओं के लिये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना।
- ❖ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला एवं अधोसंरचना की स्थापना करना।
- ❖ राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित करना।
- ❖ राज्य में गुणवत्ता पूर्ण एवं मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- ❖ राज्य में सेवा क्षेत्र यथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग इत्यादि का विकास।
- ❖ कोरोना महामारी से आर्थिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को संबल प्रदान करना।

3. प्रभावशीलता—मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 के अनुक्रम में फर्नीचर एवं टॉयस एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता एवं

इस हेतु निहित प्रक्रिया, मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 हेतु जारी मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के अनुसार होगी। इन विशिष्ट वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों को मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 अन्तर्गत अन्य प्रावधानित सुविधाओं के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में कार्य की व्यवहारिकता के दृष्टिगत रखते हुए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषयांकित विशिष्ट वित्तीय सुविधाओं का लाभ इस आशय का आदेश जारी होने के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को प्राप्त होगा।

4. विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत/सुविधाओं का विवरण—फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की पात्र विनिर्माण इकाईयों को निम्नानुसार सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा:—

4.1 उद्योग विकास अनुदान—स्थिर संपत्तियों जैसे प्लान्ट एवं मशीनरी तथा भवन पर अधिकतम 40% देय होगी। शेष नियम एवं प्रक्रिया मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 अनुसार होगी।

4.2 ब्याज अनुदान—परियोजना हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्म लोन पर 02 प्रतिशत की दर से 05 वर्षों के लिये ब्याज अनुदान अधिकतम सीमा रु. 100 लाख प्रतिवर्ष।

4.3 विद्युत् शुल्क में छूट—सभी पात्र नवीन इकाईयों को उच्च दाब विद्युत् संयोजन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 100% विद्युत् शुल्क से छूट।

4.4 विद्युत् टैरिफ में सहायता—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा प्रचलित विद्युत् टैरिफ में उच्च दाब विद्युत् उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु रु. 1 प्रतियूनिट की सहायता। उक्त सहायता मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा उसके रिटेल टैरिफ आर्डर में दी जा रही रियायत (यदि कोई हो तो) के अतिरिक्त होगी एवं विभाग द्वारा अपने बजट से वहन की जावेगी।

4.5 स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति—परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि/बैंक ऋण दस्तावेजों पर चुकाये गये पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर 50% प्रतिपूर्ति।

4.6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर प्रोत्साहन—केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन से अधिमन्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण संस्थानों से अधिकतम 4 गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर 25% लागत प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा रु. 10 लाख समस्त प्रमाण-पत्रों के लिये उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात् एक गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर अधिकतम सहायता रु. 2.5 लाख तक सीमित होगी।

4.7 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति—मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी को स्किल गेप प्रशिक्षण इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के प्रथम 3 वर्षों में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों के लिये प्रति कर्मचारी अधिकतम रु. 10,000 अधिकतम 200 कर्मचारियों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जावेगी.

4.8 रोजगार सृजन अनुदान—नियोक्ता द्वारा इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रुपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी. सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी एवं अधिकतम 200 कर्मचारियों को ही दी जावेगी. यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी. इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी. उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:—

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1	1 वर्ष के अन्दर	50%
2	2 वर्ष के अन्दर	75%
3	3 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी.

4.9 निर्यात सहायता—इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों के कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने पर पात्र उद्योग विकास अनुदान का 1.25 तक गणक एवं 50% से अधिक निर्यात करने पर 1.50 गणक तक लाभ प्राप्त हो सकेगा अर्थात् 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने वाली इकाई को मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 10% अतिरिक्त तथा 50% से अधिक निर्यात करने पर मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 20% अतिरिक्त सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त हो सकेगा. निर्यात सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से अधिकतम 4 वर्षों के लिये देय होगी. स्पष्ट किया जाता है कि किसी एक वर्ष में निर्यात की निर्धारित सीमा से कम निर्यात करने पर उस वित्तीय वर्ष में निर्यात सहायता का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

4.10 प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर किये गये व्यय/शुल्क की प्रतिपूर्ति—प्रति प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेतु 50% अथवा अधिकतम रु. 5 लाख यह सुविधा अधिकतम 4 डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिये उपलब्ध होगी. प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं (NABL accredited)/ संस्थानों से प्रमाणित होना चाहिए. विदेशी संस्थानों से लिये गये प्रोडक्ट डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश लागू होंगे.

4.11 पेटेंट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति—प्रदेश में ही निर्मित उत्पाद पर इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने पर किये गये व्यय की 100% अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति.

4.12 अपशिष्ट प्रबंधन/हरित पहल के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति—

4.12.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना लिये किये गये व्यय का 50% अधिकतम रु. 25 लाख की सहायता.

4.12.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय का 50% अधिकतम रु. 100 लाख की सहायता.

4.12.3 औद्योगिक एमएसएमई इकाईयों के समूह (कम से कम 10) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50% अधिकतम रु. 200 लाख की सहायता.

5. संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां—फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य शृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायताओं अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग किसी भी समय—

- इसे संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा.
- इसके प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा.
- इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं निहित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा.

अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2022

क्रमांक-एफ-25-106/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°54'32.923" से N 22°55'32.374" उत्तर अक्षांश तथा E 75°0'36.196" से E 75°1'26.283" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- धार

वनमण्डल :- धार

तहसील :- सरदारपुर

वन परिक्षेत्र :- सरदारपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	खाकरियाघाट-सी	खाकरिया घाट	बर्डी	76/1	10.438	उत्तर - संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 60 से 69 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 36 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				153/1	18.087	
				153/3	19.413	
				169/2	47.449	
				कुल योग	95.387 हे.	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-30/2017-एफ.सी. दिनांक 12.09.2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत परियोजना चुनार टैंक परियोजना में प्रभावित 95.387 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त 95.387 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश

क्रमांक 192/अ-(3)/2015-16 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – नहीं।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2022

क्र. एफ-25-106-2022-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-106-2022-दस-3, दिनांक 7 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2022

No.-F-25-106/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that State Government from time to time. This Forest Blocks lies between N 22°54'32.923" to N 22°55'52.374" North Latitude and E 75°0'36.196" to E 75°1'26.283" East Longitude.

SCHEDULE

District - Dhar
Forest Division - Dhar

Tahsil - Sardarpur
Forest Range - Sardarpur

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Khakariyaghat-C	Khakariyaghat	Bardi			North - Artificial forest boundary from pillar no. 60 to 69 and 01 of protected forest block. East - Artificial forest boundary from pillar no. 01 to 20 of protected forest block. South - Artificial forest boundary from pillar no. 20 to 36 of protected forest block. west - Artificial forest boundary from pillar no. 36 to 60 of protected forest block.
				76/1	10.438	
				153/1	18.087	
				153/3	19.413	
				169/2	47.449	
			Total		95.387 Ha.	

(A) Reason for Publication of Notification :-

01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-30/2017-FC Dated 12-09-2017 and in lieu of 95.387 hectare affected forest land under the Chunar Tank Project of Water Resource Department of Executive Engineer Barwani, the above mentioned Non Forest Land of 95.387 Hectare transferred or

mutated in favour of Madhya Pradesh Forest Department by revised order no. 192/A-19(3)/2015-16 dated 07.09.2016 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.

02. Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report Tahsildar Dhar (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-21-22 पत्र क्र. 281-भू-अर्जन-22

सतना, दिनांक 31 मार्च 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	5	6	7
सतना	नागौद	पवईया	18.412 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0-1 नागौद सतना (म0प्र0)	नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-21-22 पत्र क्र. 280-भू-अर्जन-22

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	5	6	7
सतना	नागौद	उमरी बृजनंदन	22.733 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0-1 नागौद सतना (म0प्र0)	नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

पत्र क्र. 309-भू-अर्जन-22

सतना, दिनांक 20 अप्रैल 2022

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा रीवा बकिया सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर पुल निर्माण हेतु निम्न ग्राम का भूअर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था:-

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	अर्जित रकबा
1	2	3
बकिया बैलो	रामपुरबाघेलान	0.251 हे0

उक्त ग्राम के भूअर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 01/01/2021 को किया गया था, इस प्रकार 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म0प्र0) के द्वारा राशि जमा न कराये जाने के कारण अवार्ड पारित नहीं किया जा सका। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रतिकर राशि जमा कराई जा चुकी है। अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

भूअर्जन अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार (कलेक्टर) को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्राम के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु दिनांक 01/01/2022 से आगे 01 वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 3977-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मई 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र 0क0135/लो0नि0शा0/22-23 चौरई दिनांक 25/05/2022 के साथ संलग्न प्रशासक नगर पालिका परिषद चौरई की बैठक दिनांक 06/05/2022 में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें निजी भूमि अधिग्रहण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र 0क0 80/लो0नि0शा0/22-23 चौरई दिनांक 10/05/2022 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रस्तावित इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु राशि 10.00 लाख का आवंटन उपलब्ध संबंधी पत्र की प्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया गया है। अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मरकाहांडी, पं0ह0न-38 ब.न.-225 सं.नि.मं.-चौरई	रकबा- 0.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	चौरई पेयजल योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंचने हेतु एप्रोच सड़क के
					निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक अप्रैल 2022

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2021-22/125/भू-अर्जन/2022:- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार को सम्बंधित विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12नवम्बर,2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर,2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर,2014 की धारा-11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) भूमि का विवरण:-

- (क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग) ग्राम- सरकना
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 266.68 वर्ग मीटर

स. क्र.	कृषक का नाम	आबादी खसरा क्रमांक मेंसे	अर्जित रकवा वर्गमीटर में
1	चीनीबाई बेवा जगदीश अहिरवार	1234/1, 308, 309, 310, 311, 312, 435/1'	113.07
2	बलराम तनय हीरालाल यादव		56.61
3	जशोदाबाई बेवा भूरा 1/2 भाग एवं रामचरन पुत्र गनुआ 1/2 भाग		97.00
योग:-			266.68 व.मी.

- (2) कार्यपालन यंत्री बान सुजारा बांध परियोजना नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 को बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

छतरपुर, दिनांक 6 मई 2022

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2021-22/176/भू-अर्जन/2022:- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार को सम्बंधित विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर, 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 की धारा-11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) भूमि का विवरण:-

- (क) जिला- छतरपुर
 (ख) तहसील- घुवारा
 (ग) ग्राम- बन्न (बरेला)
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 126.60 वर्ग मीटर

स. क्र.	कृषक का नाम	आबादी खसरा क्रमांक मेंसे	अर्जित रकवा वर्गमीटर में
1	बाबूलाल पुत्र खज्जा 1/2 भाग, बेनीबाई बेवा प्यारे पुत्र खज्जा, गोरेलाल पुत्र खज्जा, किशोरी पुत्र खज्जा, बाबूलाल पुत्र खज्जा, बन्दा पुत्र खज्जा 1/2 भाग	237. 238. 241. 242. 433. 466. 456. 465. 573.	40.00
2	रामदीन, सरमन, मुन्ना पुत्र मर्दन आदिवासी एवं लल्लाबाई पुत्री मर्दन आदिवासी	577. 499/2. 460.	35.70
3	गुनियाबाई बेवा मलखान आदिवासी	461. 462	50.90
योग:-			126.60 वर्ग मी.

- (2) कार्यपालन यंत्री बान सुजारा बांध परियोजना नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 को बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 13-भू-अर्जन-2021-22

दमोह, दिनांक 20 मई 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

(1) भूमि का वर्णन : जिला : दमोह, तहसील : पथरिया

ग्राम का नाम : भौरासा/लुहरा , क्षेत्रफल : 1.239 हेक्टेयर

ग्राम - भौरासा

स. क.	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे.) में
1	श्री राजकुमार, रामशंकर पिता बबू महारानी वेवा खरगराम धपौले पिता गुवन्दै बद्दी पिता बल्ली धनीराम कनई पिता पुन्ने अवधरानी वेवा बल्ली अशोक पिता धुन्धी संजय विनोद पिता विशाल प्रकाशरानी वेवा विशाल	697/1	0.01
2	श्री रामप्रताप पिता कनई विजय पिता धनीराम श्यामलाल पिता धपौले	697/2	0.004
3	श्री चंद्रभान पिता रामसेवक, प्रहलाद पिता रामसेवक नन्नूराम पिता रामसेवक	696/2	0.01
4	मंदिर श्री देव बंजरग बली मुहसंत दामोदर दास	698	0.02
5	श्रीमति दीपरानी पति घनश्याम	701	0.01
6	श्री सुरेश पिता मिरचू	702/1	0.02
7	श्री शुभम कुमार स्वामी सुभांशु स्वामी हर्षिता संरक्षक व स्वयं मां सावित्री बेवा देवीसींग	702/2	0.02
8	श्री रामगोपाल पिता रामचरण	704	0.03
9	श्री लक्ष्मन पिता रामगोपाल	706/1	0.01
10	श्री सोमनाथ पिता रामगोपाल	706/2	0.01
11	श्री रामकिशुन पिता मुलु	713	0.03
12	श्री दीपरानी पति घनश्याम	714	0.02
13	श्री मुकुन्दी पिता फूलचंद	314/3	0.04
14	श्री मिहीलाल पिता फूलचंद	314/2	0.02
15	श्री ओंकार पिता दयाराम	314/1	0.02
16	श्री लक्ष्मन पिता दयाराम	314/5	0.02
17	श्री प्रकाश पिता बिहारी	325/2	0.01
18	श्री प्रकाश पिता बिहारी हल्लू पिता बिहारी	325/1	0.01
19	श्री अर्जुन, रमेश, परसू, पिता आशाराम रज्जो, ममताबाई, अनीता पुत्री आशाराम प्रकाशचंद्र पिता बिहारी	326/2	0.005
20	श्री रामेश्वर पिता धरमदास	326/1	0.005
21	श्री गौतम पिता गोपी	324	0.02
22	श्रीमति कवितारानी पति गनपत	322/3	0.005
23	श्रीमति ममता पति मनोहर	322/1/1	0.005

24	श्री रमेश, परसू, अर्जुन पिता आशाराम ममताबाई, रज्जो, अनीता पुत्री आशाराम	322/2	0.005
25	श्री भूरेलाल पिता शेव यादव	322/1/2/2	0.005
26	श्रीमति दीपरानी पत्नि कोमल यादव	322/1/2/1	0.005
27	श्रीमति मीनाबाई पिता प्रेमलाल	319	0.01
28	श्रीमति रामप्यारी बेवा श्रीधर	316/2	0.03
29	श्री सुदामा राजेन्द्र रामलाल पिता श्रीधर रामप्यारी बेवा श्रीधर	316/1	0.04
30	श्री झुन्नीलाल पिता मुलु	135/1	0.07
31	श्री रतिराम पिता पंचा	228	0.06
32	श्रीमति सुमित्राबाई बेवा दयाराम	312	0.01
33	श्री गौरीशंकर पिता रामलाल गुरुचरण पिता धनीराम	311/3	0.03
34	श्री धनीराम पिता घनश्याम	245	0.03
		229	0.05
35	श्री महेश पिता दयाराम	241/2	0.01
36	श्री संतोष मोहन मानक महेश पिता दयाराम साधना बेवा उमेश नितिन पिता उमेश जानकी पुत्री उमेश गीता गायत्री कांति पुत्री दयाराम सुमित्रा बेवा दयाराम	240/1	0.05
37	श्री सुरेश पिता तुलसीराम	221/2	0.02
		225/2	0.01
38	श्री रघुनाथ पिता तुलसीराम	221/1	0.01
		225/1	0.01
		220/1	0.01
39	अनुसुईया बेवा हिम्मत तीरथ, शारदा, जानकी पुत्री हिम्मत	239	0.01
40	श्री महेश पिता दयाराम	234	0.01
		233	0.01
41	श्री कोदूलाल पिता शंकर	223/1	0.02
42	श्री मानक पिता दयाराम	222/3	0.02
43	श्री शुभचरण पिता रामलाल	232	0.02
44	श्री शिवराम पिता लल्लू	231	0.03
योग :-			0.939

ग्राम - लुहरा			
स. क.	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे.) में
1	2	3	5
1	श्रीमति रीना पत्नि कमलेश	375/1	0.03
2	श्री लटोरी पिता नारायण	422/1	0.02
3	श्री अशोक पिता कलूटा	422/2	0.01
4	श्री गोकल पिता लालजू	425	0.01
5	श्री दीनदयाल सावित्री सती केशव पिता कोदू अनोखीरानी वेवा कोदू गोकल मुलाई गीता बैजन्ती कली पुत्री नत्थू	427	0.02
6	श्री दयाराम पिता शिवचरण	428	0.03
7	श्री सचिन पिता परसराम	429/1	0.02
8	श्री कमलेश पिता वीरेन्द्र	440/1 440/2 443/1 443/2	0.01 0.01 0.02 0.02
9	श्री विमलकुमार पिता नेमचंद जैन	447	0.05
10	श्री शिवचरण पिता सिद्धे	419	0.05
योग -			0.30

- 27- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है औरासा से लुहरा मार्ग निर्माण बाबत।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 14-भू-अर्जन-2021-22

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

(1) भूमि का वर्णन : जिला : दमोह, तहसील : पथरिया

ग्राम का नाम : सदगुवां/भौरासा

क्षेत्रफल : 1.715 हेक्टेयर

ग्राम - सदगुवां			
स. क.	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे.)
1	2	3	5
1	श्री हरगोविंद पिता मोहन घंसू गंगाराम पिता बृजलाल, विन्तोबाई देवा बृजलाल	190	0.01
2	श्री गनेश, द्वारका, जागेश्वर पिता नन्ने भाई	192	0.01
3	श्री जागेश्वर, भोजराज ना0बा0 बल्द पिता कलू बली खुद मों गोपीबाई	191	0.005
4	श्री डरे पिता खरगा	193	0.01
5	श्रीमति बंसतरानी देवा ज्ञानी	361	0.02
6	श्री धरमदास कैलाश ना0बा0 पिता कलू बली व खुद कलू पिता विन्द्रावन	359	0.02
7	श्री भगवानदास पिता हरप्रसाद	355/3	0.02
8	श्री जगन्नाथ पिता मोतीलाल	363/517/1	0.03
		456/1	0.02
9	श्री कोमल पिता मोतीलाल	363/517/3	0.02
10	श्री संतोष कुमार पिता बद्री प्रसाद	363/517/2	0.01
11	श्री परषोत्तम पिता सीताराम	364/1	0.04
12	श्री रज्जन पांडे पिता सुरेश	367	0.03
		347/1	0.01
13	श्री साहबलाल पिता सीताराम कुर्मी	370/1	0.04
		452	0.02
14	श्री अंगद, जगदीश, हुकुम पिता रामसेवक	450/1	0.02
15	श्रीमति अनसुईया देवा रामगोपाल	450/2	0.05
16	श्री रामकुमारी ना.वा. पिता अशोक संरक्षक नारायण पिता परम कुर्मी	450/3	0.04
17	श्री गौतम पिता बालचंद	447/1	0.03
18	श्रीमति आशा देवा राजकिशोर देवाशीष, रावीस पिता राजकिशोर	447/2	0.01

19	श्रीदेव जानकी रमणजी शाला सदगुंवा मुहत्तमकार सुंदरलाल पिता बलीराम	442	0.08
		457	0.03
20	श्री रामनरेश पिता खिलान	441/1	0.01
		458/1	0.01
21	श्री उदयभान पिता खिलान	441/2	0.01
		458/2	0.01
22	श्री राजकुमार पिता कपूरचंद जैन	456/2	0.02
23	श्री रामस्वरूप पिता दीनदयाल शुक्ला	455	0.04
24	श्री अखिलेश पिता हरिकेश गर्ग	454/8	0.02
25	श्री काशीराम पिता जगन	454/7	0.01
26	श्री पार्वती पत्नि कंसू अहिरवार	454/9	0.02
27	श्री मदन पिता शालिगराम	454/5	0.01
28	श्री स्वामी पिता बालचंद	454/2/1/1	0.03
29	श्री हरसेवक पिता बैजनाथ	454/2/1/2	0.01
30	श्री रामभैया पिता बालचंद	454/2/2	0.03
31	श्री सतीश पिता कृष्ण कुमार	336/7	0.02
		336/8	0.02
		339/1	0.01
32	श्री सरोज पत्नि राजनारायण	339/2	0.02
33	श्री गोविन्द प्रसाद पिता रामदास	340	0.01
34	श्री रतिराम पिता रामदास	341	0.04
35	श्री बद्रीप्रसाद पिता रंजीत कुर्मी	346	0.03
36	श्री धर्मेन्द्र पिता सुरेश	347/2	0.01
37	श्री परषोत्तम, रामलाल, राजेन्द्र, साहबलाल पिता सीताराम	357	0.03
योग :-			0.995

ग्राम - भौरासा

स. क.	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे.)
1	2	3	5
1	श्रीमति कमलरानी पत्नि श्रीराम	394/1	0.03
2	श्री आशीष पिता हरिश्चंद्र	390/1	0.04
3	श्रीमति कीर्ति पति आशीष	390/2	0.04
4	श्रीमति चंद्ररानी पति ओकारं	395/1	0.03
		395/3	0.03
5	ओंकार पिता हजारी लाल	395/2/1	0.05

6	श्रीमति रजनी पति महेश	395/2/2	0.08
7	श्री महेश पिता ओंकार	395/5	0.02
8	श्रीमति फूलरानी पिता हजारीलाल	397	0.04
9	श्री धीरज पिता कृपाराम	398/1	0.04
10	श्री कौशल पिता हरिश्चंद्र	400/1	0.08
11	श्रीमति मीरा पत्नि कौशल	400/2	0.08
12	श्री दशरथ पिता रामचंद्र	401/4	0.04
13	श्री हरिश्चंद्र पिता हजारीलाल	404/1	0.06
14	श्रीमति राजरानी पति हरिश्चंद्र	404/2	0.03
15	श्री विश्वनाथ पिता हरिश्चंद्र	428/1	0.03
	योग -		0.72

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है सदगुवां से भौरासा मार्ग निर्माण बाबत।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 17 मई 2022

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन आर पुनर्व्यवस्थापन म उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
 (ख) तहसील — अमानगंज
 (ग) ग्राम — महेबा
 (घ) क्षेत्रफल — 67.478 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	5800	0.200	निजी भूमि
2	4736/1	0.281	निजी भूमि
3	4740/1	0.035	निजी भूमि
4	4741/2/क	0.141	निजी भूमि
5	4736/2	0.140	निजी भूमि
6	4737/1	0.215	निजी भूमि
7	4739/2/ख	0.138	निजी भूमि
8	4772/2ख/1	0.136	निजी भूमि
9	5075/1	0.070	निजी भूमि
10	5076/1	0.060	निजी भूमि
11	4789	0.097	निजी भूमि
12	4790	1.473	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
13	4794/2	0.255	निजी भूमि
14	4795/2	0.045	निजी भूमि
15	4796/1/क	0.251	निजी भूमि
16	4800/1/ख	0.085	निजी भूमि
17	4808/1/1/ख	0.535	निजी भूमि
18	4715/2/क	0.055	निजी भूमि
19	4722/3	0.109	निजी भूमि
20	4723/2	0.389	निजी भूमि
21	4724/1/क	0.250	निजी भूमि
22	4724/1/ग	0.530	निजी भूमि
23	4737/2	0.107	निजी भूमि
24	5075/2	0.076	निजी भूमि
25	4772/1क/2क	0.020	निजी भूमि
26	5096	0.089	निजी भूमि
27	4792/2	0.696	निजी भूमि
28	4793/2	0.040	निजी भूमि
29	4722/2	0.055	निजी भूमि
30	4724/1/ख	0.520	निजी भूमि
31	4737/3	0.107	निजी भूमि
32	4739/2/क	0.138	निजी भूमि
33	4772/1क/1क	0.125	निजी भूमि
34	5076/2	0.167	निजी भूमि
35	4792/1	0.696	निजी भूमि
36	4793/1	0.073	निजी भूमि
37	4796/1/ख	0.251	निजी भूमि
38	4715/2/ख	0.442	निजी भूमि
39	4716	0.097	निजी भूमि
40	4722/1	0.055	निजी भूमि
41	4738	0.502	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
42	4786	1.360	निजी भूमि
43	4802	0.688	निजी भूमि
44	4714	0.350	निजी भूमि
45	4739/1	0.275	निजी भूमि
46	5097/1	0.085	निजी भूमि
47	4773/1	0.142	निजी भूमि
48	4785	0.024	निजी भूमि
49	4787	0.097	निजी भूमि
50	4726	0.219	निजी भूमि
51	4717	0.200	निजी भूमि
52	4724/2/क/1	0.046	निजी भूमि
53	4725/1	0.083	निजी भूमि
54	5097/2	0.085	निजी भूमि
55	4773/2	0.141	निजी भूमि
56	4723/1	0.388	निजी भूमि
57	4724/2/क/2	0.257	निजी भूमि
58	4706/1	0.080	निजी भूमि
59	4706/2	0.080	निजी भूमि
60	4707/1	0.070	निजी भूमि
61	4686/1	0.900	निजी भूमि
62	4689/1	0.190	निजी भूमि
63	4690	0.105	निजी भूमि
64	4707/2	0.070	निजी भूमि
65	4686/2	0.900	निजी भूमि
66	4689/2	0.150	निजी भूमि
67	4695	0.057	निजी भूमि
68	4803/1/क	0.096	निजी भूमि
69	4688/1	0.004	निजी भूमि
70	4687/1	0.384	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
71	4804/1	0.158	निजी भूमि
72	4708/1/ग	0.540	निजी भूमि
73	4671/1/ख	0.040	निजी भूमि
74	4688/2	0.206	निजी भूमि
75	4687/3/ख	0.800	निजी भूमि
76	4691	0.186	निजी भूमि
77	4692	0.129	निजी भूमि
78	4693	0.615	निजी भूमि
79	4694/2	0.600	निजी भूमि
80	4694/1	0.581	निजी भूमि
81	5052/1/क	0.500	निजी भूमि
82	5133/3	0.100	निजी भूमि
83	5052/1/ख / 1	0.500	निजी भूमि
84	5135/1/क	0.090	निजी भूमि
85	5136/1/ग	0.220	निजी भूमि
86	5136/2/झ	0.110	निजी भूमि
87	5139/2	0.199	निजी भूमि
88	5502/1/ड	0.145	निजी भूमि
89	5502/2/क	0.052	निजी भूमि
90	5502/2/ग	0.120	निजी भूमि
91	5060/1	0.101	निजी भूमि
92	5061	0.260	निजी भूमि
93	5052/1/ख / 2	0.500	निजी भूमि
94	5052/2/क	0.388	निजी भूमि
95	5053	0.126	निजी भूमि
96	5052/2/ख	0.500	निजी भूमि
97	5134/3	0.100	निजी भूमि
98	5052/2/ग	0.500	निजी भूमि
99	5135/1/घ	0.150	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
100	5135/1/च	0.200	निजी भूमि
101	5135/2/ख	0.100	निजी भूमि
102	5136/2/ग	0.350	निजी भूमि
103	5502/1/ख	0.160	निजी भूमि
104	5502/1/घ	0.195	निजी भूमि
105	5503	0.267	निजी भूमि
106	5504	0.170	निजी भूमि
107	5062/1	0.040	निजी भूमि
108	5133/2	0.050	निजी भूमि
109	5135/1/ग	0.090	निजी भूमि
110	5136/1/ख	0.220	निजी भूमि
111	5136/1/घ	0.220	निजी भूमि
112	5136/2/छ	0.580	निजी भूमि
113	5137	0.299	निजी भूमि
114	5060/2	0.102	निजी भूमि
115	5062/2	0.040	निजी भूमि
116	5133/5	0.050	निजी भूमि
117	5134/2	0.100	निजी भूमि
118	5135/1/झ	0.230	निजी भूमि
119	5502/2/ख	0.335	निजी भूमि
120	5059	0.211	निजी भूमि
121	5063	0.030	निजी भूमि
122	5064/1	0.217	निजी भूमि
123	5064/2	0.217	निजी भूमि
124	5064/3	0.195	निजी भूमि
125	5064/4	0.195	निजी भूमि
126	5089	0.559	निजी भूमि
127	5090	0.040	निजी भूमि
128	5094/2	0.085	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
129	5106	0.154	निजी भूमि
130	5107	0.081	निजी भूमि
131	5114/3/क	0.256	निजी भूमि
132	5064/5	0.195	निजी भूमि
133	5094/1	0.085	निजी भूमि
134	5099	0.129	निजी भूमि
135	5064/6	0.195	निजी भूमि
136	5074/2	0.233	निजी भूमि
137	5077	0.251	निजी भूमि
138	5098	0.097	निजी भूमि
139	5084	0.324	निजी भूमि
140	5093	0.340	निजी भूमि
141	5085	0.081	निजी भूमि
142	5514/1/क	0.628	निजी भूमि
143	5514/2/क	0.628	निजी भूमि
144	5082	0.162	निजी भूमि
145	5086	0.065	निजी भूमि
146	5087	0.065	निजी भूमि
147	5088	0.097	निजी भूमि
148	5108	0.089	निजी भूमि
149	5114/2/क	0.197	निजी भूमि
150	5080	0.089	निजी भूमि
151	5081	0.089	निजी भूमि
152	5083	0.073	निजी भूमि
153	5078	0.089	निजी भूमि
154	5079	0.089	निजी भूमि
155	5067	0.100	निजी भूमि
156	5091	0.178	निजी भूमि
157	5092	0.178	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
158	5520/2	0.600	निजी भूमि
159	5065	0.130	निजी भूमि
160	5095	0.267	निजी भूमि
161	4788	1.197	निजी भूमि
162	4794/1	0.255	निजी भूमि
163	4795/1	0.044	निजी भूमि
164	4796/2	1.053	निजी भूमि
165	4797	0.388	निजी भूमि
166	4798/1	0.227	निजी भूमि
167	4715/1/ख	0.400	निजी भूमि
168	4799/1	0.056	निजी भूमि
169	4800/1/क	0.983	निजी भूमि
170	4801/1	0.085	निजी भूमि
171	4799/3	0.028	निजी भूमि
172	4800/3	0.700	निजी भूमि
173	4798/2	0.114	निजी भूमि
174	4798/3	0.113	निजी भूमि
175	4799/2	0.029	निजी भूमि
176	4800/2/क	0.300	निजी भूमि
177	4800/2/ख	0.400	निजी भूमि
178	4801/2	0.043	निजी भूमि
179	4801/3	0.042	निजी भूमि
180	4803/1/ख	0.110	निजी भूमि
181	4804/2	0.158	निजी भूमि
182	4708/1/ख	0.050	निजी भूमि
183	4803/2	0.102	निजी भूमि
184	4806	0.057	निजी भूमि
185	4807/1	0.030	निजी भूमि
186	4807/4	0.050	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
187	4807/2	0.050	निजी भूमि
188	4807/3	0.050	निजी भूमि
189	4808/1/1/क	0.020	निजी भूमि
190	4808/1/क/2	0.085	निजी भूमि
191	4809	0.360	निजी भूमि
192	4808/1/ख/1	0.058	निजी भूमि
193	4808/1/ख/2	0.129	निजी भूमि
194	4808/1/ग	0.311	निजी भूमि
195	4808/1/ख/3	0.083	निजी भूमि
196	4772/1क/3क	0.060	निजी भूमि
197	4808/2	0.572	निजी भूमि
198	4808/3	0.189	निजी भूमि
199	4808/4	0.116	निजी भूमि
200	4849	0.300	निजी भूमि
201	5104	0.073	निजी भूमि
202	5105	0.057	निजी भूमि
203	5109	0.113	निजी भूमि
204	5113/1	0.091	निजी भूमि
205	5114/1/क	0.387	निजी भूमि
206	5133/1	0.050	निजी भूमि
207	5136/2/च	0.445	निजी भूमि
208	5138	0.291	निजी भूमि
209	5133/4	0.050	निजी भूमि
210	5134/1	0.070	निजी भूमि
211	5135/1/ज	0.300	निजी भूमि
212	5136/2/ज	0.200	निजी भूमि
213	5139/1	0.198	निजी भूमि
214	5134/4	0.100	निजी भूमि
215	5502/2/ज	0.520	निजी भूमि

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
216	5134/5	0.082	निजी भूमि
217	5135/1/ज	0.150	निजी भूमि
218	5136/2/क	0.080	निजी भूमि
219	5135/1/ख	0.090	निजी भूमि
220	5502/1/ग	0.340	निजी भूमि
221	5502/2/ड	0.120	निजी भूमि
222	5058	0.200	निजी भूमि
223	5135/1/ड	0.320	निजी भूमि
224	5502/1/क	0.160	निजी भूमि
225	5502/2/च	0.213	निजी भूमि
226	5057/1	0.400	निजी भूमि
227	5135/2/क	0.460	निजी भूमि
228	5136/2/ख	0.420	निजी भूमि
229	5136/2/ड	0.445	निजी भूमि
230	5136/1/क	0.370	निजी भूमि
231	5502/2/घ	0.120	निजी भूमि
232	5136/2/घ	0.370	निजी भूमि
233	5057/2	0.500	निजी भूमि
234	5499	0.227	निजी भूमि
235	5500	0.073	निजी भूमि
236	5501	0.097	निजी भूमि
237	5505	0.049	निजी भूमि
238	5506	0.267	निजी भूमि
239	5507	0.081	निजी भूमि
240	5508	1.000	निजी भूमि
241	5509	0.462	निजी भूमि
242	5510	3.650	निजी भूमि
243	5511	0.275	निजी भूमि
244	5512/1	0.733	निजी भूमि

क्र.सं/क	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
245	5519/1/क	0.300	निजी भूमि
246	5519/2	0.300	निजी भूमि
247	5520/1/क	0.600	निजी भूमि
248	5520/1/ख	0.600	निजी भूमि
249	4727	0.040	निजी भूमि
250	4728	1.078	निजी भूमि
251	4713	0.677	निजी भूमि
252	4741/1/क	0.174	निजी भूमि
253	4784/1	0.517	निजी भूमि
254	4687/2/क	0.500	निजी भूमि
255	4743/1	0.387	निजी भूमि
256	4715/1/क	0.098	निजी भूमि
257	4671/1/1	0.040	निजी भूमि
258	4671/2	0.040	निजी भूमि
259	6068/4780	0.308	निजी भूमि
260	4782	0.154	निजी भूमि
	किता 260	67.478 हे०	निजी भूमि

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : सेमरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण (छूटे हुए कम रकवा) कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम महेबा तहसील अमानगंज एवं अनुभाग गुनौर ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 24 मई 2022

प्र. क्र. 19-अ-82-भू-अर्जन-2021-22-आसन बैराज-4867

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम- पुरा हथरिया, प0ह0क्र0 113 रा0नि0वृत्- तहसील- जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला- मुरैना में कुल 9.59 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पुरा हथरिया प0ह0क्र. 113 राजस्व वृत्- तहसील-जौरा, उपखण्ड -जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला-	मुरैना
ख.	तहसील-	जौरा
ग.	ग्राम-	पुरा हथरिया
घ.	लगभग क्षेत्रफल	9.59 हे0

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	68	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.3	पंजाब सिंह पुत्र सोवरन सिंह जाति गुर्जर नि0 ग्राम भूमि स्वामी
2.	74	भूमि स्वागी	कृषि भूमि	0.51	करन सिंह पुत्र रघुवर सिंह 1/9
	75	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.09	राजमनी, सुल्तान, सुरेश पुत्रान

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
	76	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.47	अजमेर सिंह, शिवदेई पुत्री अजमेर
	77	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.46	सिंह 1/9, वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गवदा पिता नारायण सिंह प्रेमा जिरो मीना पुत्री नारायण सिंह समान 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी धनवन्ती वेवा सरदार सिंह मोहर सिंह कोकसिंह धरमसिंह पिता सरदारसिंह पुष्पा दीपा पुत्री सरदार सिंह समान भाग 1/9 बैकुण्ठी मुन्नी रामरती सन्तो बर्फी पुत्री चतुरे 5/7 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामदेई वेवा केदार रिन्कू बा. ब्रजेश नाबा. पुत्रगण केदार रीना बा. अन्जली नाबा. पुत्री केदार सर. माँ खुद भाग 1/7 दर भाग 1/8 समान गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समान भाग 1/8 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी श्रीलाल लायकसिंह निरपालसिंह पिता सूबालाल रामप्यारी लोंगश्री पुत्री सूबालाल हि. 5/54 बैकुण्ठी वेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पुत्र गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/54 दर भाग 1/9 पता

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजरव अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					निवासी ग्राम भूमि स्वामी भगवानसिंह भूपसिंह रूकमसिंह बिजेन्द्र सिंह अमरसिंह फूलसिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह द्रोपती वेवा पुरुषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्री पुरुषोत्तम सिंह समान भाग 1/9 रतन सिंह, रणवीर सिंह पुत्र बेदरिया, अनारकली, समदुलारी, समप्रकाशी पुत्री बेदरिया स.भा. 1/9, शिवचरन, विशाल पुत्र सलिका, रामरती, राजबटी पुत्र सलिका हि० 4/5, कलावती वेवा जहार सिंह, साहब सिंह, जगदीश सुरेन्द्र पुत्र जहार सिंह स.भा. 1/5 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी(अ.ए.ए.सी.५)
3.	204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.070	हलुकी, बादामी पुत्रियाँ रघुवरसिंह जाति काछी नि० ग्राम
4.	207	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.110	भागवती, सहोद्रा पुत्रियाँ गोविन्द सिंह जाति काछी नि० ग्राम
5.	228	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.42	देवीराम पुत्र नारायण जाति काछी नि० ग्राम
	229	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.26	
	259	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.09	
	260	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.48	
	268	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.22	
	269	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.22	
	270	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.31	

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
6.	253	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.15	कमलेश भूरासिंह गम्भीर सिंह राजवीर सिंह उदयवीर सिंह पुत्र हरीसिंह समान भाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गजेन्द्र सिंह कृपाराम सुरेन्द्र सिंह पिता बहादुरसिंह समान भाग 1/3 जनकसिंह प्रेमसिंह मंगलसिंह पिता चिम्मनसिंह 1/3 समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7.	254/ 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.63	वीरेन्द्र गवदा पिता नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
	254/ 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	महेन्द्र पुत्र नारायण सिंह जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
8.	254 /4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.46	भारत सिंह पुत्र भल्लूसिंह
9.	254/6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	प्रीतमसिंह पुत्र अजमेर सिंह 1/2 राजमनि, सुल्तान, सुरेश पुत्रान अजमेर, शिवदेही पुत्री अजमेर भाग 1/2 जाति काछी नि० ग्राम
10.	254/10	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.63	सोनेराम पंजाब सिंह पिता सोबरनसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी अहस्तातरणीय

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
11.	261	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.23	दर्शन महेश पिता भीमा कस्तूरी
	262	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमा हि0 6/7 सामान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सूखी वेवा पंचम महीपाल बेदम पिता पंचम सरवती सरोज महाराजो मनोज पुत्री पंचम समान भाग 1/7 जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12.	271 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.31	श्रीलाल लायकसिंह निरपाल पिता सूवालाल हि 3/4 बैकुण्ठी वेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पिता गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर समान भाग 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
13.	306	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.24	हेमलता पत्नी रामप्रकाश हि. 1/3 रामप्रकाश पुत्र भल्लू हि. 1/3 उर्मिला पत्नी रंगलाल हि. 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14.	320	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.35	राजेन्द्र पुत्र बाबूसिंह फूलवती पुत्री
	336	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.14	बाबूसिंह सतीश पुत्र इन्द्रकली जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
	338	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.17	
15.	341	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.28	वीरेन्द्र, गजराज, महेन्द्र, गवदा पिता नारायणसिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
16.	349	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.40	रामविलास पुत्र माधौसिंह जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल किता -				9.59 हे०	

- यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
- नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मुरैना, दिनांक 26 मई 2022

प्र. क्र. 15-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2020-21-5009

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-अगरोता, प0ह0क0-47 रा0नि0 वृत्-03 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 1.594 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- अगरोता, प0ह0क0-47रा0नि0 वृत्-03 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	अगरोता
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.594 हैक्टेयर

कस	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	11/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.100	रामो पुत्री हरिविलास हि0 1/4 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना, गुलाबो पुत्री हरिविलास हि0 1/4 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना, नरोत्तम पुत्र बाबूलाल हि0 1/20 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना, विनोद पुत्र बाबूलाल हि0 1/20 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना म0प्र0 भूमिस्वामी विद्याबाई पुत्री बाबूलाल हि0 1/20 ममता पुत्री बाबूलाल हि0 1/20 मंजू बेवा शैलेन्द्र हि0 1/60 शोभित पुत्र शैलेन्द्र हि0 1/60 राचिन नाबा0 पुत्र शैलेन्द्र संरक्षक मा ममता हि0 1/60 रामरतन पुत्र रघुनाथ हि0 1/4 समी जाती त्यागी भूमिस्वामी निवासी अगरोता।
2	11/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.102	अखिलेश पुत्र बाबूलाल हि0 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, अवधेश पुत्र

					बाबूलाल हि० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, दिलीप पुत्र बाबूलाल हि० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, अनिल पुत्र बाबूलाल हि० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, बैकुण्ठी बेवा बाबूलाल हि० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, नरेन्द्र कुमार पुत्र भोगीराम हि० 1/8 पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, कल्याण पुत्र शिवचरन हि० 1/4 जाति कुशवाह पता अगरोता जौरा मुरैना, मुन्ना पुत्र शिवचरन हि० 1/4 जाति कुशवाह पता अगरोता जौरा मुरैना, सुरेश पुत्र शिवचरन हि० 1/4 जाति कुशवाह पता अगरोता जौरा मुरैना म०प्र० भूमिस्वामी।
3	34	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.181	बदनसिंह पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, सुनीता पुत्री पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, रामरती पुत्री पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, अशोक पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, पूरन पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, सुदामा पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, दाताराम पुत्र समलिया हि० 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, कमलेश पुत्र समलिया हि० 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, मुन्नी पुत्र समलिया हि० 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, मातादीन पुत्र ओझा हि० 1/3 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, केशव पुत्र नादरिया हि० 1/9 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, वीरेन्द्र पुत्र सुग्रीव हि० 1/18 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, लक्ष्मी पुत्री सुग्रीव हि० 1/18 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, मोहन पुत्र समलिया हि० 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी।
4	35	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.197	रामजीलाल पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता मुरैना, नारायण पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, द्वारिका पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता मुरैना, बाबूलाल पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, टीकाराम पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता मुरैना, रामरती पुत्री कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, रमेश चंद्र पुत्र वंशी हि० 1/18 जाति त्यागी पता मुरैना, बाबूलाल पुत्र वंशी हि० 1/27 जाति त्यागी पता मुरैना, रामदेई पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति

					त्यागी पता मुरैना, नारायणी पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति त्यागी पता मुरैना, शंकरिया पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति त्यागी पता मुरैना, बादामी पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति त्यागी पता मुरैना, मुन्ना पुत्र सुखराम हि० 8/108 जाति त्यागी पता मुरैना, भूपसिंह पुत्र सुखराम हि० 8/108 जाति त्यागी पता मुरैना, जावित्री पुत्री शिवराम हि० 1/18 जाति त्यागी पता मुरैना, ओमप्रकाश पुत्र रामचरन हि० 1/12 जाति त्यागी पता मुरैना, सत्यप्रकाश पुत्र रामचरन हि० 1/12 जाति निवारी पता मुरैना, विनोद पुत्र रामचरन हि० 1/12 जाति निवारी पता मुरैना, कमला पुत्री रामचरन हि० 1/12 जाति त्यागी पता मुरैना, जगदीश पुत्र होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, राघवेन्द्र पुत्र होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, विनय पुत्र होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता मुरैना, लोंगश्री पुत्री होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता मुरैना, छाया पुत्री होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता मुरैना म०प्र० भूमिस्वामी।
5	36	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.138	सोनराम पुत्र भरोषी हि० 1/4 जाति बघेल पता जौरा मुरैना, दिलीप पुत्र भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, उन्नपाल पुत्र भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, राजवीर पुत्र भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, अमृतलाल पुत्र देवीराम हि० 1/12 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, शीला बेवा देवीराम हि० 1/12 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, श्रेया पुत्री देवीराम हि० 1/12 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, वीरेन्द्र पुत्र भरोषी हि० 1/4 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, सोमवती पुत्री भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी।
6	37/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.475	अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी।
7	38	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.138	अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी।
8	41/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.250	बाबूलाल पुत्र बशीधर जाति त्यागी पता

					अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी।
9	42	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	मुन्ना पुत्र सुखराम जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी।
10	43	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.003	बदनसिंह पुत्र बुद्धीराम हि० 1/10 जाति कोली पता अगरोता जौरा मुरैना, धर्मसिंह पुत्र बुद्धीराम हि० 1/10 जाति कोली पता अगरोता जौरा मुरैना, मथुरा पुत्र कलुआ हि० 1/10 जाति कोली पता अगरोता जौरा मुरैना, नरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण हि० 5/10 जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना, ल्होरे पुत्र कलुआ हि 2/10 जाति कोली पता बुढेरा जौरा मुरैना भूमिस्वामी।
कुल 10 सर्वे नं० में				1.594	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मई 2022

क्रमांक-3977-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र 0क0135/लो0नि0शा0/22-23 चौरई दिनांक 25/05/2022 के साथ संलग्न प्रशासक नगर पालिका परिषद चौरई की बैठक दिनांक 06/05/2022 में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें निजी भूमि अधिग्रहण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र क0 80/लो0नि0शा0/22-23 चौरई दिनांक 10/05/2022 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रस्तावित इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु राशि 10.00 लाख का आवंटन उपलब्ध संबंधी पत्र की प्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया गया है। अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मरकाहांडी, प0ह0न-38 ब.न.-225 रा.नि.म.-चौरई	रकबा- 0.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू. अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	चौरई पेयजल योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंचने हेतु एप्रोच सड़क के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2022

प्र. क्र. 4258-भू-अर्जन-2021

सार्वजनिक विज्ञप्ति					
प्रारूप-ख					
नियम 5 कानियम (2) देखिये					
<p>कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लॉकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम तेलीखेड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>					
अनुसूची (01)					
ग्राम - तेलीखेड़ा			तहसील-खिलचीपुर		
क्रं.	विवरण		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
			19.039	0.091	
		योग :-	19.039	0.091	
अनुसूची -(02)					
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :- तेलीखेड़ा तहसील - खिलचीपुर जिला राजगढ़					
क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	6/1	देवीलाल पिता मोती, जगन्नाथ पिता मोती, रामचन्द्र पिता मोती, कमलाबाई पुत्री मोती, लीलाबाई पुत्री मोती जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.870	0.005
2	6/2	भगवानसिंह पिता मांगीलाल, राजलबाई बेवा मांगीलाल जाति तेली नि.ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.874	0.005
3	7/1	भैरुलाल पिता रत्ता, रामकलाबाई पति भैरुलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.450	0.002

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
4	7/2	सुशीलाबाई बेवा फूलचंद जाति बसोड नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.450	0.002
5	8/1	शासकीय	तेलीखेड़ा	0.166	0.005
6	20	शासकीय	तेलीखेड़ा	0.214	0.001
7	19/1	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.227	0.002
8	24	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.190	0.002
9	23	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.255	0.001
10	22/2	कन्हैयालाल पिता हरलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.506	0.003
11	21	शासकीय	तेलीखेड़ा	1.898	0.001
12	118/1	रोडमल, कंवरलाल पिता गंगाराम जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.190	0.002
13	118/2	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.316	0.002
14	118/3	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.380	0.002
15	118/4	सुंदरबाई बेवा हरलाल, कन्हैयालाल पिता हरलाल, रामचन्द्र पिता हरलाल, देवीलाल पिता हरलाल, बदीलाल पिता हरलाल, कैलाश पिता हरलाल, गिरीराज ना.बा. पिता भंवरलाल सरपरस्त माता कौशल्याबाई, कमलेश ना.बा. पिता भंवरलाल संरक्षक माता कौशल्याबाई, गीताबाई पिता हरलाल, ममताबाई पिता हरलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.380	0.002
16	117/2	देवीलाल पिता मोती, जगन्नाथ पिता मोती, रामचन्द्र पिता मोती, कमलाबाई पुत्री मोती, लीलाबाई पुत्री मोती जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.096	0.001
17	119/1	शासकीय	तेलीखेड़ा	6.630	0.010
18	120	शासकीय	तेलीखेड़ा	0.239	0.001
19	127/1/1	पूण्याबाई बेवा नंदराम जाति बलाई नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.251	0.002
20	127/1/2	पूनमचंद पिता भंवरलाल जाति बलाई नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.500	0.002
21	129/1	मोहनलाल पिता रतनलाल, बनेसिंह पिता रतनलाल, रमेश पिता रतनलाल, करणसिंह पिता रतनलाल, केशरसिंह पिता रतनलाल, अयोध्याबाई बेवा रतनलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.548	0.003
22	129/2	बालचंद पिता बापूलाल, रामसूखीबाई पिता बापूलाल जाति तेली नि.ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.536	0.003

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
23	130/3	सीताराम पिता रामनारायण, पवित्राबाई पिता रामनारायण जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.250	0.003
24	130/4	लक्ष्मीनारायण पिता अमरसिंह जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.605	0.003
25	130/5	देवीसिंह पिता अमरसिंह जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.263	0.003
26	130/6	देवीसिंह पिता अमरसिंह जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.362	0.003
27	136/2/1	भोजराज पिता राधेश्याम, जतनबाई बेवा राधेश्याम जाति दांगी नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.069	0.004
28	136/2/2	भोजराज पिता राधेश्याम, जतनबाई बेवा राधेश्याम जाति दांगी नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.171	0.004
29	136/1	कैलाश पिता प्रभूलाल जाति कुम्हार नि. ग्राम भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.506	0.004
30	134/2/2/3/2	कान्ताबाई पति कैलाश जाति कुम्हार नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.274	0.004
31	134/2/2/5/1	गंगाराम पिता प्रभूलाल जाति कुम्हार नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी	तेलीखेड़ा	0.373	0.004
महायोग				19.039	0.091

प्र. क्र. 4260-भू-अर्जन-2021

सार्वजनिक विज्ञप्ति
प्रारूप-ख
नियम 5 कानियम (2) देखिये
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांगी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम रनारा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1, जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p>

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (01)

ग्राम - रनारा	विवरण	तहसील-खिलचीपुर	
कं.		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांगी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		1.124	0.023
योग		1.124	0.023

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से

ग्राम :- रनारा तहसील - खिलचीपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	10/2	देवसिंह पिता भागीरथ जाति दांगी भूमि स्वामी	रनारा	0.145	0.006
2	11/2/1	बालू पिता शिवलाल जाति दांगी भूमि स्वामी	रनारा	0.275	0.004
3	11/2/2	देवीलाल पिता शिवलाल जाति दांगी भूमि स्वामी	रनारा	0.275	0.004
4	18	हीरालाल पिता रामा. मु. न्यासीबाई बैवा बाब, रोडसिंह पिता हरिराम.मु.भंवरीबाई बैवा राधेश्याम नारायण शिवसिंह पिता नाथूराम प्रताप पिता गुलाब सरदार जमनी पुत्री गुलाब बालू देवीलाल पिता शिवलाल मु. अनारबाई बैवा शिवलाल छीताबाई, गोराबाई भूलीबाई पुत्री शिवलाल रामप्रसाद पिता गंगाराम बैवा गंगाराम जाति दांगी भूमि स्वामी	रनारा	0.049	0.001
5	19	हीरालाल पुरीलाल माता न्यादीबाई जाति दांगी भूमि स्वामी	रनारा	0.214	0.004
6	20	गोरधन पिता प्रभुलाल जाति दांगी भूमि स्वामी	रनारा	0.166	0.004
			महायोग	1.124	0.023

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 6th May 2022

No. B-2507-III-6-4-2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), issued in this behalf and by making necessary amendment in its Notification no. C/5397 dated 28-12-2018, Honourable the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby appoints the Judge shown in column no. (4) of the table given below for the Court specified in column no. (3), constituted by the State Government by its Notification no. 17(E)83-03-21-B(1)-5846-2018 dated 07-12-2018.

TABLE

No. of notification dated 07-12-2018	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name and designation of the Judge appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
64	Morena	Additional Sessions Judge, Morena.	Shri Rajeev Raw Gautam, III Additional Sessions Judge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VIVEK SAXENA, Registrar (District Establishment).

जबलपुर, दिनांक 18 मई 2022

क्र. B-2618-दो-2-114-2017.—श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 18 अप्रैल से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2620-दो-2-14-2021.—श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 06 से 10 जून 2022 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 से दिनांक 17

जून 2022 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 18 एवं 19 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2622-दो-3-32-2022.—श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 25 से 30 अप्रैल 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में 01 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2624-दो-2-32-2022.—श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 17 से 28 मई 2022 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 मई से 10 जून 2022 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1140-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर), सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	...	232
अर्द्धवेतन अवकाश	...	68

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 232 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = $\frac{\text{अर्द्धवेतनिक अवकाश}}{\text{के एवज में नगद भुगतान}} \times 68$

क्र. D-1136-दो-2-55-2017.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 17 से 20 मई 2022 तक चार दिन के एवं दिनांक 06 से 10 जून 2022 तक पांच दिन का कुल नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1138-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2022 तक तेरह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2627-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर), सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 225
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 75

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = $\frac{\text{के एवज में नगद भुगतान}}{30} \times 75$

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. C-2502-दो-2-57-2021.—श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2504-दो-2-44-2019.—श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 02 से 10 जून 2022 तक नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2506-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 से 29 अप्रैल 2022 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2508-दो-2-13-2014.—श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2510-दो-2-13-2015.—श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 28 से 30 अप्रैल 2022 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 02 मई 2022 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और

स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्रमांक-रा.आ.-सात-शा-8-2022-23-358.—मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जारी बजट पुस्तिका क्रमांक 07 में बजट नियंत्रण अधिकारी राहत आयुक्त (बी.सी.ओ. कोड 0708) अंतर्गत राहत का सम्पूर्ण बजट मांग संख्या 58 (प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय) के स्थान पर मांग संख्या 008 (भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय) में सम्मिलित कर दिया गया है।

अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों, परिपत्रों में उल्लेखित मांग संख्या 58 (प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय) के स्थान पर मांग संख्या 008 (भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय) प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, राहत आयुक्त एवं प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

पंजी क्रमांक 1859-2022-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3212 फा.-1-2-2010-21-ब(एक), दिनांक 26 मई, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के, सारणी में, अनुक्रमांक 21 तथा अंक संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिला (2)	राजस्व जिलें (3)
“21.	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम.”

No. 1859-2022-21-B(1).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's No. 3212-F-1-2-2010-21B(1) Dated 26th May, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for the serial No. 21 and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No. (1)	Civil Districts (2)	Revenue Districts (3)
“21.	Narmadapuram	Narmadapuram.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

पंजी क्रमांक 1859-2022-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 16259-1-3-2012-21-ब(एक), दिनांक 05 अक्टूबर 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के, सारणी में, अनुक्रमांक 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	व्यवहार जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या		
		अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग (वरिष्ठ खण्ड)	व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग (कनिष्ठ खण्ड)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“21.	नर्मदापुरम	11	8	12.”

No. 1859-2022-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's No. F.No. 16259-1-3-2012-XXI-B(1) Dated 5th October, 2016, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for the serial No. 21 and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Serial No.	Civil Districts Name	Number of Courts		
		Additional District Judges	Civil Judges Class-I (Senior Division)	Civil Judges Class-II (Junior Division)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21	Narmadapuram	11	8	12."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. बी-2098-तीन-10-40-78-आठ.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666 दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तदनुसार उक्त अधिसूचना की सारणी में अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	3	नर्मदापुरम	2	नर्मदापुरम	3
		सोहागपुर	2	सोहागपुर	1	सोहागपुर	1
		पिपरिया	3	पिपरिया	2	पिपरिया	2
		इटारसी	3	इटारसी	2	इटारसी	3
				सिवनी	1	सिवनी	1
				मालवा		मालवा	
						पचमढ़ी	2

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, रजिस्ट्रार जिला स्थापना.

Jabalpur the 8th April, 2022

No. B-2096-III-10-40-78.—In the notification of the High Court no. B-4903, dated 12th September, 2017; issued in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974), serial no. 21 of the table is amended as below.

TABLE

S. No.	Court of Sessions	Place, where the Courts shall ordinarily hold their sitting
(1)	(2)	(3)
21	Narmadapuram	Narmadapuram, Sohagpur, Pipariya, Itarsi

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी-4903, दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

सारणी

अनुक्रमांक	सत्र न्यायालय	सामान्यतः बैठने का स्थान
(1)	(2)	(3)
21	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी.

By order of the High Court
VIVEK SAXENA, Registrar (District Establishment)